

बिहार कर्मचारी चयन आयोग
पो0-वेटनरी कॉलेज, पटना-14

आवश्यक सूचना

पत्रांक.....1380/377

दिनांक...13.4.2022

CWJC No-2548/2022 Ranjay Kumar Shrama & Others Vs Bihar Staff Selection Commission, Patna में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-05.04.2022 को पारित न्यायादेश के आलोक में वि0सं0-06060114, प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2014 से संबंधित अभ्यर्थियों की कॉउन्सिलिंग के दौरान Biometric Mismatch वाले 187 अभ्यर्थियों के सूचनार्थ।

वि0सं0-06060114, प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2014 की मुख्य परीक्षा, शारीरिक क्षमता जाँच/माप परीक्षण/टंकण/आशुलेखन जाँच परीक्षा के उपरांत सफल अभ्यर्थियों में से मेधा क्रमांक, कोटि, पद प्राथमिकता विकल्प एवं उपलब्ध अद्यतन रिक्तियों के आधार पर कॉउन्सिलिंग हेतु योग्य पाये 14,410 अभ्यर्थियों की सूची आवश्यक सूचना ज्ञापांक-5693/आ0, दिनांक-04.12.2021 द्वारा आयोग के वेबसाइट <https://bssc.bihar.gov> पद पर प्रदर्शित की गयी। आयोग के आवश्यक सूचना ज्ञापांक-5710/आ0, दिनांक-07.12.2021 द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों के लिए कॉउन्सिलिंग से संबंधित विस्तृत कार्यक्रम एवं दिशा निर्देश निर्गत किये गये।

कॉउन्सिलिंग हेतु योग्य पाये गये अभ्यर्थियों की कॉउन्सिलिंग दिनांक-15.12.2021 से 25.12.2021 तक ए0एन0 कॉलेज, पटना में आयोजित की गयी। कॉउन्सिलिंग से पूर्व अभ्यर्थियों के प्रारम्भिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा के दौरान लिए गये Biometric Thumb Impression का मिलान कराया गया।

कॉउन्सिलिंग हेतु आमंत्रित 14,410 अभ्यर्थियों के लिए निर्गत आवश्यक सूचना ज्ञापांक-5710/आ0, दिनांक-07.12.2021 में स्पष्ट उल्लिखित है कि:- "कॉउन्सिलिंग में आमंत्रित अभ्यर्थियों का सर्वप्रथम बायोमेट्रिक मिलान प्रारम्भिक एवं मुख्य परीक्षा में लिए गये बायोमेट्रिक डाटा से किया जायेगा। उक्त मिलान में सही पाये जाने के उपरांत ही अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्रों की संवीक्षा (Scrutiny) की जायेगी। बायोमेट्रिक मिलान में किसी भी तरह की विसंगति पाये जाने पर संबंधित अभ्यर्थी के विरुद्ध विधि-सम्मत यथोचित कार्रवाई करने के लिए आयोग स्वतंत्र होगा।" बायोमेट्रिक मिलान के दौरान उपस्थित अभ्यर्थियों में से 187 अभ्यर्थियों के Biometric Thumb Impression का मिलान नहीं हो पाया, जो पररूपधारण (Impersonation) के मामले प्रतीत हुए, जिनके विरुद्ध आयोग द्वारा एस0के0पुरी थाना, पटना में विभिन्न तिथियों को प्राथमिकी दर्ज की गयी। Biometric Mismatch वाले 187 अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक निम्नवत् हैं:-

30000052	30000170	30000180	30000542	30000559	30001348	30002869	30002968	30003684	30003707
30003713	30003955	30004240	30004427	30004602	30004652	30004862	30005244	30005356	30005417
30005423	30005465	30005496	30005659	30005743	30005816	30006121	30006126	30006174	30006183
30006308	30006447	30006457	30006538	30006553	30006564	30006889	30006977	30006996	30007056
30007097	30007128	30007324	30007326	30007350	30007357	30007375	30007446	30007556	30007777
30007868	30008247	30008347	30008376	30008426	30008608	30008627	30008763	30008879	30008896
30008915	30009065	30009150	30009152	30009319	30009366	30009512	30009555	30009564	30009584
30009995	30010156	30010174	30010434	30010637	30010659	30010888	30010892	30010958	30011098
30011353	30011587	30011603	30011622	30011623	30011695	30011721	30012095	30012216	30012303
30012341	30012584	30012648	30012716	30012873	30013204	30013280	30013838	30013968	30013975
30014020	30014227	30014316	30014370	30014379	30014999	30015123	30015439	30015494	30015558
30015726	30016192	30016950	30018711	30018851	30019000	30019250	30019706	30020411	30020721
30020966	30022069	30023041	30024474	30025858	30025903	30026284	30026912	30027105	30027128
30027421	30027674	30028111	30028609	30028735	30030449	30030672	30031655	30032267	30032702
30033215	30033501	30034096	30034182	30035234	30035634	30035897	30037472	30037661	30038099
30038320	30038333	30038600	30039000	30040194	30040243	30042084	30042085	30043451	30043797
30044469	30045171	30045814	30046364	30046761	30047098	30047272	30047471	30049037	30049414
30049879	30050764	30050840	30051119	30052504	30052816	30053613	30053633	30054585	30054693
30054892	30054938	30055572	30056046	30056797	30057069	30057097			
								TOTAL-187	


आयोग द्वारा जिन अभ्यर्थियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है, उनमें से कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में याचिका दायर की गयी। CWJC No-2548/2022 Ranjay Kumar Shrama & Others Vs Bihar Staff Selection Commission, Patna. वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-05.04.2022 को न्यायादेश पारित किया गया। पारित न्यायादेश का प्रासंगिक अंश निम्नवत् है:-

"One of the contention raised by the petitioners in the present petition is that petitioners were invited for counselling on 15.12.2021 and 24.12.2021. During the process of counselling petitioners were subjected to biometric in which concerned authority found that it was mismatch issue. Thus, petitioners' claim for selection was rejected. Decision of rejection has not been communicated to the petitioners. Therefore, the Commission is hereby directed to communicate the decision to the petitioners within one week. On receipt of such communication, petitioners are permitted to file Interlocutory Application in amending petition and so also challenging the rejection."

Re-list this matter on 19.04.2022.

Biometric Mismatch वाले 187 अभ्यर्थियों के विरुद्ध एस0के0पुरी थाना, पटना में विभिन्न तिथियों को प्राथमिकियाँ दर्ज की गयी है और सभी कांड अभी अनुसंधानान्तर्गत हैं। अतः सम्यक् विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि 187 अभ्यर्थियों के अभ्यर्थित्व को रद्द करने के संबंध में कांडों के अनुसंधान के फलाफल के अनुसार निर्णय लिया जायेगा।

अभ्यर्थी अद्यतन सूचना हेतु आयोग के वेबसाइट <https://bssc.bihar.gov.in> का सतत अवलोकन करते रहेंगे।


13-04-22
सचिव

बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना।